न्यायालय अंचल अधिकारी लावालौंग — चतरा।

अनुसूची १४—फारम ५६५ [illegible]

आदेश पत्रक

(नियम [illegible] १९४[illegible] का नियम १२१)

आवेदक- श्री भागीरथ गंझु
पिता - स्व० कुवेलाल गंझु
साकिन - लावालौंग

[illegible] — [illegible]

जिला [illegible] — चतरा

38/17-18

[illegible]

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
१	२	३
3.2.17	आवेदक श्री भागीरथ गंझु पिता स्व० कुवेलाल गंझु साकिन लावालौंग के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा लावालौंग के थाना लावालौंग खाता सं० 63, 139 रकबा 13.69 एकड़ भूमि हुसैनी गंझु के नाम से जमाबंदी कायम है जिसका सरकारी रसीद वर्ष 1985-86 तक निर्गत है। पुनः अज्ञानता वश रसीद नहीं कटा पूर्वजों की भूमि पर दखल कब्जा पूर्व से शांतिपूर्वक चला आ रहा है। आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि बकाया लगान लेकर पूर्व से चल रही जमाबंदी को नियमित करते हुए लगान रसीद निर्गत किया जाय। अंचल निरीक्षक/राजस्व कर्मचारी के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। 12वां आवेदक को नोटिस के माध्यम से दखल [illegible] कागजात की मांग करें। अभिलेख दिनांक 3.4.17 को रखें। [signature] 3.2.17 अंचल अधिकारी	

3/5/17	अभिलेख उपस्थापित अंचलाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण आज सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक 6.5.17 को उपस्थापित करें। 3/5/17 अं० अ० लावालौंग
02/06/25	उभय पक्ष के द्वारा संबंधित वाद में रुचि नहीं लेने एवं लंबे समय से वाद की कारवाई लंबित रहने के फलस्वरूप, वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। भविष्य में उभय पक्ष चाहें तो पुनः आवेदन करने हेतु स्वतंत्र हैं। 02/06/25 अंचल अधिकारी लावालौंग संशोधित एवं लेखापित 02/06/25 अंचल अधिकारी लावालौंग

Digitally signed by SUMIT KUMAR JHA
Date: 2025.06.02 13:25:37 +05:30
Location: fe80::edb8:ab3d:89dd:169f%12